विचार बिन्दु

ईश्वर एक शाश्वत बालक है जो शाश्वत बाग़ में शाश्वत खेल खेल रहा है। -अरविन्द

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधानिकता को चुनौती देने के स्थान पर समाधान तलाशें

अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ केस नं. WP(C) 1246/2020 के केस में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करने जा रहा है:–

(1) क्या पूजा स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 तथा 4 संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 तथा समानता के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन करती है?

(2) क्या धारा 2, 3 व 4 अनुच्छेद 25, 26, और 29 तथा संविधान में धर्म निरपेक्षता की मूल विशेषता का उल्लंघन करती है?

(3) क्या आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किये गये मंदिर हिन्दू तथा इस्लामी पर्सनल लॉ के तहत् मंदिर बने रहेंगे?

सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकायें उपरोक्त वर्णित कानून के तहत पेश हुई हैं। राजनीतिक दलों जिसमें आरजेडी, एआईएम, जमीयत उलेमा-ए-हिन्द आदि हैं उन्होंने अपनी-अपनी पिटीशनस् में सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि माननीय कोर्ट उक्त पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों का समर्थन करें ताकि देश में सभी लोगों में समरसता व भाईचारा बना रहे और कोई साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न नहीं हो, तथा संविधान का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना सुरक्षित रहे।

पूजा स्थल अधिनियम अथवा उपासना स्थल अधिनियम 1991 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई सभी पिटीशनस् की सुनवाई साथ-2 होगी। इसे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बैंच सुनवाई कर रही है। केस में सुनवाई के हेतु 17 फरवरी 2025 की पेशी नियत है। अंग्रेजी में इस अधिनियम को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 के नाम से पुकारा जाता है।

यह अधिनियम 18 सितम्बर, 1991 को संसद द्वारा पारित किया गया था। यह अधिनियम बाबरी मस्जिद के विधवंस से एक साल पूर्व सन 1991 में लाया गया था। बाबरी मस्जिद के (खंडहर) को 1992 में गिराया गया था। अधिनियम का पूरा नाम पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 है। इस कानून को संसद में किसी भी पूजा स्थल के धर्मांतरण पर रोक लगाने और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाये रखने के अधिनियम (उद्देश्य) से पारित किया गया था, जो जैसा भी 15 अगस्त, 1947 को था। सर्वोच्च न्यायालय उपासना स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय करेगा। यह कानून जैसा ऊपर कहा है उपासना स्थलों के धार्मिक स्वरूप के बदलने से, जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, को रोकता है।

यह अधिनियम उस समय जनता के ध्यान में आया जब सर्वोच्च न्यायालय उस स्थान के सम्पत्ति विवाद का फैसला कर रहा था, जहां कभी बाबरी मस्जिद थी। मस्जिद के खंडहर को, जिस रूप में वह उस समय थी, कार सेवकों से 6.12.1991 को तोड़ा था। सिविल कोर्ट में सम्पत्ति का विवाद वर्षों तक चला था। दावे के अनुसार इस की सम्पत्ति का मालिकाना हक हिन्दुओं के देवता भगवान श्रीराम (रामलला) विराजमान का माना था। दिनांक 9 नवम्बर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 5 न्यायाधीशों ने उक्त सम्पत्ति का अधिकार माना था। इस प्रकार 450 साल पुराने विवाद का अन्त हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को सुरक्षित रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ''पूजा स्थल अधिनियम आन्तरिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के दायित्वों से संबंधित है यह सभी धर्मों की समानता के लिये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका में उक्त एक्ट की धारा 2, 3 व 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 के मुख्य प्रावधानों को समझना प्रत्येक देश के नागरिक के लिये आवश्यक है। उपासना स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही रहना चाहिये जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। इसका उद्देश्य भी यही है कि पूजा स्थल के कथित ऐतिहासिक रूपान्तरण से उत्पन्न सभी विवादों को समाप्त करना है। धारा 3 स्पष्ट रूप से यह निर्देश देती है कि किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल में परिवर्तित करने की मनाही है यानी परिवर्तन करने पर रोक है और रोक की स्थिति यह है कि उसी धार्मिक सम्प्रदाय के किसी अन्य भाग के पूजा स्थल में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को था। धारा 4(2) में बतलाया गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के परिवर्तन के बाबत किसी भी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष लम्बित कोई भी वाद या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जावेगी और कोई नया वाद या कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकेगी। यदि 15 अगस्त 1947 के बाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले किसी उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप बदल गया है और उससे संबंधित कोई वाद या अपील किसी न्यायालय में लम्बित है तो उसका निर्णय धारा 4(1) अनुरूप ही किया जावेगा। धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम की कोई धारा राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले से संबंध किसी भी मुकदमें, अपील अथवा कार्यवाही पर लागू नहीं होगी। धारा 6 के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है।

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे जैसे - (1) वे पूजा स्थल जो प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनिमय 1958 द्वारा संरक्षित हैं। (2) यदि कोई वाद इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही अन्तिम रूप से निपटाया जा चुका है तो यह अधिनियम लागू नहीं होगा। (3) उस स्थिति में भी यह अधिनियम लागू नहीं होगा जब विवाद जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से सेटिल किया जा चुका है।

कबीर हिन्दू व मुसलमान दोनों के लिये पूज्यनीय थे। उन्होंने दोनों धर्मो के पाखण्ड़ पूर्ण व्यवहार पर करारी और तीखी चोट की थी। कबीर का मानना था कि हर इन्सान में ईश्वर का निवास होता है। उसे मंदिर-मस्जिद में ढूँढना सही नहीं है। ईश्वर न तो काबा में मिलेगा न काशी में बल्कि वह तो हर इन्सान में मिलेगा।

यह ध्यान देने की बात है कि यह एक्ट बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के प्रकाश में लाया गया था, किन्तु उसे विशेष रूप से इससे बाहर रखा गया था; क्योंकि इस कानून के पारित होने के समय यह विवाद पहले से ही न्यायालय में जेरकार था।

यहां यह कहना भी समीचीन होगा कि न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड ने कहा था कि यद्यपि यह सही है कि 1991 के कानून के तहत् धार्मि स्थल की प्रकृति को बदलने पर रोक है किन्तु प्रक्रियात्मक साधा के रूप में किसी धार्मिक चरित्र का पता लगाना वस्तुत: इस अधिनियम (एक्ट) की धारा 3 व 4 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हो सकता। कृपया ध्यान दें कि उक्त विचार किसी निर्णय का अंश नहीं है। यानी यह विवाद का विषय नहीं है। मथुरा एवं ज्ञानव्यापी दोनों के विवादों में मस्जिद पक्ष के इस व्याख्या को चुनौती दी है। इसका यह अर्थ है कि उपरोक्त रिट याचिकाओं की बहस में यह प्रश्न उठाया जावेगा।

दिनांक 15 अगस्त 1947 भारत के लिये एक ऐतिहासिक व महत्व का दिन है, जब देश एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और संप्रभु राज्य बना था, जहां कोई राज्य धर्म नहीं है और धर्मों को स्वतंत्र रूप से देखा जाता है और नागरिकों को अपने-2 धर्म के रिवाजों, पद्धति के अनुरूप पूजा, साधना, उपासना करने का अधिकार प्राप्त है। वस्तुत: अलग-2 धर्मों के पूजा स्थलों के पूजा स्थलों की यथास्थिति सीापित रखने के लिये 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल एक्ट लागू किया गया था। यह स्पष्ट किया गया कि देश में आजादी के वक्त अर्थात् 15.08.1947 को जो पूजा स्थल जिस स्थिति में थे, वे वैसे ही रहेंगे। पूजा स्थल अधिनियम सभी धार्मिक स्थलों पर लागू है चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का हो, उसे दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में परिवर्तित नहीं कर सकेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई याचिकायें पेश हो रही थी, इसे देखकर न्यायालय ने मुदकमें बाजी पर विराम लगा दिया है। सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि जब तक अपेक्स कोर्ट में मामले लम्बित हैं तब तक अदालतें धार्मिक स्थल के दावों के नये मुकदमें दर्ज नहीं करेंगे अथवा फाइनल आदेश पारित करेगी। सर्वे का भी आदेश नहीं देगी।

पूजा स्थलों का विवाद संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 के तहत् हल किया जाना चाहिये।

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने हिन्दू याचिकाकर्त्तओं द्वारा दायर याचिकाओं को चुनौती देते हुये अपेक्स कोर्ट में प्ली ली थी कि अधिनियम के विरूद्ध याचिकाओं पर विचार करने से भारत में अनगिनत मस्जिदों के विरूद्ध विवादों की बाढ़ आ जावेगी। इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी याचिकाओं का विरोध किया हैं।

जो याचिकायें सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई हैं उनमें मुख्य तर्क यह है कि उक्त अधिनियम 1991 न्यायिक समीसक्षा को रोकता है। धारा 4 न्यायालयों को विशेष मामले में निर्णय लेने से रोकती है। यह भी तर्क है और प्ली उठाई है कि चूंकि न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढ्राँचे का एक भाग है और उसे खण्डित नहीं किया जा सकता अत: अधिनियम वैध नहीं है। उक्त अधिनियम धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त का भी उल्लंघन करता है। याचिका में एक्ट की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि अधिनियम (एक्ट) एक धार्मिक समुदाय को वरीयता देता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 का भी अतिरेक करता है। आर्टिकल 14 व 15 के तहत् समानता और भेदभाव के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 के तहत् भी इसे चुनौती दी गई है, जिसका संबंध जीने के अधिकार से है। जैसा ऊपर कहा है कि अधिनियम अनुच्छेद 25, 26 व 29 के तहत् दिये गये धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

एक याचिका में तर्क है कि चूंकि देवता शाश्वत होते हैं और मंदिर नष्ट करने के बाद भी मंदिर है, अत: मंदिर का स्वामित्व नष्ट नहीं होता।

वर्तमान में सर्वे से यह ज्ञात हुआ है कि हजारों मंदिरों को तोड़कर उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिन्दुओं में जागृति आई है और वे तोड़े गये मंदिरों के स्थान पर पुन: मंदिरों को रेस्टोर (पुन: स्थापित) करना चाहते हैं। देश की अदालतों मंदिर/मस्जिद के विवादों से घिर जावेंगी और देश की संस्कृति और उसकी गंगा-जमुनी संस्कृति को भारी आघात होगा। सदभाव और भ्रात्व भाव में भारी तनाव पैदा होगा। अत: जो मुकदमें चल रहे हैं उनमें ऐसा निर्णय होना चाहिये जो राष्ट्रहित में हो। देश की एकता व अखण्डता अक्षुण्ण रहे। कुछ लोगों ने सलाह दी है कि हमें आपसी सदभाव से इन विवादों का हल निकालना होगा। यों तो मंदिर मंदिर में भेद नहीं हो सकता; किन्तु फिर भी भेद है और यह भी आस्था का प्रश्न है। मथुरा, काशी, संभल आदि कई स्थान के मंदिरों के विवाद आपसी सहमति से निपटाये जा सकते हैं। प्रयत्न करें कि विशिष्ट 12 मस्जिदों को अधिनियम की धारा 5 के तहत् राम जन्मभूमि के मामले की तरह अपवाद में शामिल करें और शेष सभी मंदिरों के विवादों पर अधिनियम 1991 लागू किया जावे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मंदिर मस्जिद के केस को बहुत ही कुशलता व राष्ट्र की एकता व अखण्डता के हेतु निर्णित किया है जिसे देश का महान इतिहास सदा याद करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि (बाबरी मस्जिद) केस में उक्त अधिनियम की विवेचना की है और उसे अपवाद किये जाने को वैध माना है।

पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाले तर्क सही हो सकते हैं और उस अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है; किन्तु इससे राष्ट्र का अहित ही होगा, न्याय भी नहीं होगा। यदि देश के हिन्दू व मुसलमानों के मध्य कोई समझौता इस हेतु होता है तो वह चिर स्मरणीय होगा और इस घटना का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जावेगा।

कबीर हिन्दू व मुसलमान दोनों के लिये पूज्यनीय थे। उन्होंने दोनों धर्मों के पाखण्ड पूर्ण व्यवहार पर करारी और तीखी चोट की थी। कबीर का मानना था कि हर इन्सान में ईश्वर का निवास होता है। उसे मंदिर-मस्जिद में ढूँढना सही नहीं है। ईश्वर न तो काबा में मिलेगा न काशी में बल्कि वह तो हर इन्सान में मिलेगा। कबीर ने कहा था– **''मोको कहाँ ढूँढे रे बन्दे मैं तो तेरे पास में।**
न मंदिर में न मस्जिद में, न काबा कैलाश में।।''

कबीर ने कहा था, उसे पूजा स्थल में ढूँढना व्यर्थ है वह तो हर मनुष्य में है।

हे, खुदा व ईश्वर के बन्दों कबीर के दर्शन व भारतीय संविधान तथा संस्कृति को समझो और मंदिर-मस्जिद के इस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक गरिमा की छाया में आपसी सहमति से सुलझाने में इतिहास के साक्षी बने।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था : भविष्य की झलक

राम शर्मा

हम वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था की चाल सकारात्मक रही। कई देशों में मंदी के बावजूद हमारी आर्थिक वृद्धि दर बनी रही। यूक्रेन-रूस युद्ध ने कुछ सेक्टर में महंगाई बढ़ाने का काम किया, लेकिन समग्र रूप से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ने संतुलित विकास किया है। अब यह देखना रोचक होगा कि भारत के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा? भारत के लिए अपनी युवा जनसंख्या, डिजिटल तकनीक और मजबूत होते आधारभूत ढांचे से उम्मीद है कि यह वर्ष भी भारत के लिए उत्साहवर्धक परिणाम लेकर आएगा। हालांकि, आय असमानता, बेरोज़गारी और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कुछ चुनौतियों से भी पार पाना होगा।

भारत अपनी युवा जनसंख्या का लाभ उठाने में लगातार सफल हो रहा है। भारत की औसत आयु अपेक्षाकृत कम रहने का अनुमान है, जिससे एक बड़ा कामकाजी वर्ग उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा देगा। 2025 तक भारत की श्रमशक्ति दुनिया में सबसे बड़ी हो सकती है, जो श्रम उपलब्धता के मामले में उसे एक विशिष्ट लाभ देगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि भारत इस जनसांख्यिकीय लाभ को कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और रोजगार सृजन के माध्यम से भुनाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार न रहे।

भारत ने डिजिटल तकनीक के बुनियादी ढांचे में काफी प्रगति की है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से लाखों लोगों तकनीक का बेहतर उपयोग करने लगे हैं। 2025 तक, यह तकनीक लगभग हर क्षेत्र में जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त में केंद्रीय भूमिका निभाएगी। सरकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देने की योजना, साथ ही साथ एक उभरते हुए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद करेगा। फिनटेक, एडकटेक और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्र तेजी से बढ़ेंगे, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल का निर्माण करना है। 2017 में लागू किया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2025 तक कराधान प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करेगा, जिससे व्यापार लागत घटेगी और अनुपालन में सुधार होगा।

भारत की शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो अवसंरचना, आवास और परिवहन के लिए मांग को बढ़ावा देगी। स्मार्ट शहरों, मेट्रो रेल प्रणालियों, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निवेश से मजबूत आर्थिक विकास की नींव रखी जाएगी। वर्ष 2025 तक, भारत की अवसंरचना का विकास न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ावा देगा, जिससे एक अधिक कुशल अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा।

भारत का वैश्विक व्यापार में स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश ने विशेष रूप से आईटी सेवाओं, फार्मास्युटिकल्स और वस्त्रों के निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी है। वर्ष 2025 तक, भारत वैश्विक निर्माण और सेवा केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। प्रमुख साझेदारों जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और दक्षिण-एशिया के साथ व्यापार समझौतों से भारत की आर्थिक स्थिति वैश्विक बाजार में और मजबूत होगी।

इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। भारत में पर्याप्त श्रमशक्ति है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा। हर हाथ को काम देना भारत के लिए इस वर्ष भी बड़ी चुनौती होगी। कामकाजी उम्र की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन रोजगार बाजार उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। इसके अलावा, श्रम कौशल अंतर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई श्रमिकों के पास उभरते हुए उद्योगों के लिए आवश्यक कौशल नहीं हैं। वर्ष 2025 तक, सरकार और निजी क्षेत्र को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में भारी निवेश करना आवश्यक होगा, ताकि एक ऐसे कार्यबल का निर्माण हो सके जो भविष्य के रोजगार के लिए तैयार हो। यदि भारत इन मुद्दों को हल नहीं करता है, तो युवा बेरोज़गारी आर्थिक वृद्धि को बाधित कर सकती है।

आर्थिक असमानता को दूर करना देश की बड़ी समस्याओं में से एक है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समृद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। अमीर और गरीबी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। इस वर्ष में आय असमानता को दूर करना समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होगा। ऐसी नीतियां जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करें, असमानताओं को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगी कि वृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचें।

भारत को गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे वायु प्रदूषण, जल संकट और जलवायु परिवर्तन। देश का तेजी से औद्योगिकीकरण अक्सर उसके प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर हुआ है। वर्ष 2025 तक, भारत को सतत विकास पर अपने ध्यान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना होगा, ताकि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके। इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और जलवायु संकट से निपटने में निवेश करना आवश्यक होगा। एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण भारत की घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं दोनों को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।

कृषि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश की बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। हालांकि, कृषि को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे निम्न उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और अपर्याप्त अवसंरचना। वर्ष 2025 तक, यह जरूरी होगा कि सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों, बेहतर सिंचाई प्रणालियों और बाजार लिंकेज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करे। ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल और ऋण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करनी होगी, ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन को रोका जा सके और संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारत की अर्थव्यवस्था बाहरी तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जिनमें वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध शामिल हैं। संरक्षणवाद, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव जैसे मुद्दे भारत के विकास की संभावनाओं के लिए चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। मजबूत कूटनीतिक उपस्थिति बनाए रखना और व्यापार संबंधों में विविधता लाना भारत को वैश्विक आर्थिक संकटों से बचाने के लिए आवश्यक होगा।

वर्ष 2025 भारत के लिए नए अवसर भी लेकर आएगा। भारत सरकार द्वारा उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (इ्ध्ध) योजना जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 2025 तक भारत वैश्विक कंपनियों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने का एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है। भारत को चीन से निर्माण स्थानांतरण से लाभ हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रों और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों में नए अवसर उत्पन्न होंगे।

वर्ष 2025 में भारत का मध्यम वर्ग महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की संभावना है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वस्त्रों, उपभोक्ता सामान, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य देखभाल जैसी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। यह बढ़ता उपभोक्ता वर्ग घरेलू उपभोग को बढ़ावा देगा, जो जीडीपी वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। मध्यम वर्ग बेहतर शासन, बेहतर सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की मांग करेगा, जो सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में निवेश को बढ़ावा देगा।

भारत का अनुकूल निवेश माहौल, बढ़ता घरेलू बाजार और कुशल श्रमिकों का विशाल पूल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा। 2025 तक, भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनने की संभावना है। सरकार के नियमों में सुधार, व्यापार करने में आसानी और अवसंरचना में सुधार से विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्षत: हम कह सकते हैं कि वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि का सामना करेगी, जो जनसांख्यिकीय लाभ, प्रौद्योगिकी नवाचार और रणनीतिक नीति सुधारों से प्रेरित होगी। हालांकि, बेरोज़गारी, आय असमानता, पर्यावरणीय स्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिम जैसी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक होगा। इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए भारत अपने वैश्विक आर्थिक रुतबे को और मजबूत कर सकता है और अपने नागरिकों के लिए समावेशी और सतत वृद्धि सुनिश्चित कर सकता है। आने वाले वर्षों में भारत का भविष्य निर्णायक रूप से आकार लिया जाएगा और सही नीतियों और रणनीतियों के साथ यह देश अपनी आर्थिक संभावनाओं को हासिल कर सकता है और वैश्विक समृद्धि में योगदान कर सकता है।

-राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

भारत-पाक सीमा पर बी.एस.एफ. ने ''ऑपरेशन सर्द हवा'' शुरू किया

बीकानेर, (निसं)। राजस्थान से सटी करीब 1000 किलोमीटर लंबी भारत-पाक सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट (सर्द हवा) शुरू हो गया है। खुफिया एजेंसियों ने आशंका जाहिर की है कि 26 जनवरी को देखते हुए सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

ऑपरेशन अलर्ट के तहत सेक्टर मुख्यालय से भी जवानों को सीमा पर तैनात किया गया है सभी बटालियन के अधिकारी भी सीमा पर पहुंच गए हैं। हर 500 मीटर पर जवान तैनात किए गए हैं। ओपी टावर पर दो-दो जवान तैनात किए गए हैं। एक सप्ताह चलने वाले इस ऑपरेशन के दौरान गांवों सीमाएं भी सील रहेंगी। गांवों में नाके लगाए जाएंगे। हर गाड़ी को चेक किया जाएगा। होटलों की नियमित चेकिंग होगी। बाहरी वाहन और लोगों पर विशेष नजर रहेगी। इस कड़ाके की ठंड में जब जनता रजाइयों में दुबकी रहती है बीएसएफ के जवान बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। ड्रोन से हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना बीएसएफ के लिए चुनौती बनी हुई है। पिछले दिनों अनूपगढ़ क्षेत्र में पाक तस्करों ने ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। उसके बाद से ही बीएसएफ बॉर्डर पर हाई अलर्ट मोड पर है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि 26 जनवरी पर विध्वंस फैलाने के उद्देश्य से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं या भारी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ भेज सकते हैं। इसे देखते हुए बॉर्डर पर चप्पे-चप्पे पर निगरानी की जा रही है। बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद चौकसी और भी आसान हो गई है। हर बीओपी पर कंट्रोल रूम से तारबंदी पार पाकिस्तान में 500 मीटर तक नजर रखी जा रही है। सीमा पार पाक रेंजर्स की हरकत दिखाई देने पर कंट्रोल रूम से तत्काल कमांडेंट और अन्य अधिकारियों तक मैसेज जाता है।

ड्रोन से हीरोइन और हथियार तस्करी को रोकने के लिए व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए दो तरह के वाहन तैयार किए गए हैं जिन पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। इन दोनों गाड़ियों पर करीब 10 जवान हथियारों से लैस होकर सीमा चौकी से 10 किलोमीटर तक के दायरे में 24 घंटे रेकी करेंगे। पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हथियार और मादक पदार्थ गिरा कर चले जाते हैं। बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट को देखते हुए बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव में भी सर्विलांस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। ग्राम रक्षक समितियों को भी अलर्ट किया गया है। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि संदिग्ध दिखाई देने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में तत्काल पुलिस थाना या बीएसएफ चौकी पर सूचना दें।

लिव-इन में रहने वाली महिला को पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, याचिका खारिज

जोधपुर फैमिली कोर्ट ने खारिज की महिला की याचिका

जोधपुर, (कासं)। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली शादीशुदा महिला को उसके पति से गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। जोधपुर फैमिली कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

जानकारी के अनुसार सूंथला निवासी एक महिला ने पारिवारिक कोर्ट में घरेलू हिंसा का परिवाद पेश किया था। महिला ने कहा था कि वह लंबे समय से पति से अलग रह रही है। नागौर के कुचेरा निवासी उसके पति का बिजनेस है। उसकी हर महीने की इनकम करीब सवा लाख रुपए है, इसलिए उसे तीस हजार रुपए मासिक भरण-पोषण दिलाया जाए।

महिला के पति के वकील ने कहा कि महिला ने खुद दौसा एसपी को उसका खर्च संबंधित व्यक्ति के द्वारा उठाने की जानकारी दी थी। पुलिस जांच में महिला का राजकुमार नामक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रहना पाया है। खुद महिला ने भी संबंधित कोर्ट में हुए बयानों में भी लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार किया। उसका खर्च राजकुमार उठा रहा है।

वहीं पति से भरण-पोषण की मांग करते हुए दायर परिवाद में महिला ने कहा कि वह कोई काम नहीं जानती। वह पीहर पक्ष पर आश्रित है और पीहर पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पीहर पक्ष लंबे समय तक उसका भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह उन पर ज्यादा दिनों तक बोझ नहीं बने रहना चाहती है, इसलिए उसे भरण-पोषण दिलाया जाए।

सुनवाई करते हुए पारिवारिक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी दलपत सिंह राजपुरोहित ने महिला की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में दूसरे व्यक्ति की ओर से महिला का खर्चा उठाए जाने के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसे में महिला को पहले पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार नहीं है।

राशिफल शुक्रवार 24 जनवरी, 2025

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, अनुराधा नक्षत्र शनिवार प्रात: 5:08 तक, वृद्धि योग शुक्रवार प्रात: 5:08 तक, विष्टि करण सायं 7:26 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-मिथुन, बुध-धनु, गुरू-वृष, शुक्र-कुम्भ, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सम्पूर्ण दिन-रात रहेगा। भद्रा सायं 7:26 तक है। बुध मकर राशि में सायं 7:39 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:39 तक, लाभ-अमृत 8:39 से 11:19 तक, शुभ 12:39 से 1:59 तक, चर 4:38 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:20, सूर्यास्त 5:58

मेष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। परिवार में आपसी वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह

घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

आर्थिक कारणों से अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है।

धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

मकर

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।